न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 84/2025 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

खतीजा खातुन -------------------- प्रथम पक्ष

बनाम्

दिनेश कुमार वर्मा ------------------ द्वितीय पक्ष

आदेश

8/8/25	उभय पक्ष द्वारा दाखिल कारण पृच्छा का अवलोकन करने, उभय पक्ष द्वारा दाखिल राजस्व संबंधी साक्ष्यों का अध्ययन करने तथा उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उभय पक्ष के मध्य व्याप्त विवाद स्वत्व (Title) संबंधी है। उभय पक्ष अलग-अलग विक्रय पत्र के जरिए उक्त भूमि पर अपना-अपना दावा करते हैं। स्वत्व (Title) का विवेचन अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः उभय पक्ष को निदेशित किया जाता है कि सक्षम न्यायालय में युक्ति युक्त (Appropriate) वाद दायर कर मामले का स्थायी निपटारा कर सकते हैं। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 8/8/25 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया 8/8/25 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया

Digitally signed by localhost
Date: 2025.11.19 12:32:52 +05:30
Location: 10.160.2.141